पत्रांक सं0–15 / डी0एल0ए0–पटना (चिरैयाटांड पहुँच पथ)–23 / 12 –3028 / रा0, पटना, दिनांक–24/12/2012

**बिहार सरकार**

**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**
**(भू–अर्जन निदेशालय)**
**अधिसूचना**

**पटना, दिनांक..........................................**

सं0 ............................................................................................. रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम– मोहर्रमपुर, थाना नं0– 137 म्यु0 वार्ड नं0– 03, सीट नं0– 17 एवं 34, पटना सिटी म्यूनिसपलीटी जिला पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात रेलवे उपरी पुल चिरैयाटाँड पटना के पहुँच पथ (करबिगहिया छोर) निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त म्यु0 वार्ड नं0– 03, सीट नं0– 17 एवं 34, के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम–वेश 0.228 एकड़ के बराबर होता है जिसका सर्वे म्यु0 खेसरा संख्या– 411, 417, 424, 515, 516, एवं 517 सभी अंश भाग है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

| **सीट सं0– 17** | **सीट सं0– 34** |
|---|---|
| उत्तर:– म्यु0 खेसरा सं0– 411, 417 अंश | म्यु0 खेसरा सं0– 515, 516, 514 अंश |
| पूरब:– म्यु0 सीट नं0– 34 का सिवाना | म्यु0 खेसरा सं0– 519 |
| दक्षिण:– म्यु0 खेसरा सं0– 411, 424 अंश | म्यु0 खेसरा सं0– 516, 517, 518, एवं 514 अंश |
| पश्चिम:– म्यु0 खेसरा सं0– 410 अंश | म्यु0 सीट नं0– 17 का सिवाना |

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू–अर्जन पदाधिकारी पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा। बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियन्ता कार्य प्रमण्डल सं0– 01, बिहार पटना के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता,
पटना।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

पी0टी0ओ0

ज्ञा० सं०–15 / डी०एल०ए०–पटना (चिरैयाटाँड पहुँच पथ)–23 / 12 – 3028 / रा०, पटना, दिनांक– 24/ 12/ 2012

**प्रतिलिपि** :–

1. तीन अतिरिक्त प्रतियों सी०डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना के दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन एवं प्रकाशित संस्करण का जिला भूमि अर्जन कार्यालय, पटना एवं इस विभाग को प्रेषित हेतु।
2. उप समाहर्त्ता प्रभारी, सामान्य शाखा, पटना को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट को जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को दस प्रतियों में भेजने के लिये।
3. समाहर्त्ता / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/12/12

**सरकार के अपर सचिव।**